



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटरमीडिएट महाविद्यालय की प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति के शर्तों की पूर्ति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने की तिथि विस्तारण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 26/2020

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या-25/2020 के क्रम में झारखण्ड राज्य अवस्थित सभी स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालय प्रबंधन को सूचित किया जाता है कि विद्यालय/इंटर महाविद्यालय की प्रस्वीकृति अहर्ता पूरी करने से संबंधित प्रमाणिकता के साथ पूर्ण प्रतिवेदन परिषद् कार्यालय में समर्पित करने की तिथि दिनांक 25.09.2020 तक विस्तारित की जाती है। उक्त तिथि के पश्चात् प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना अनुमति रद्द करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/वि.-महा.स्था./1041/SECY/262/20

Dt. 24.08.2020

D.O.P. 25.08.2020